

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मैनपुरी ।
पत्रांक 3818 /14-1 मैनपुरी दिनांक: जून 02, 2023

सेवा में,

महाप्रबन्धक (पारेषण)
साउथ ईस्ट, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन
कम्पनी लि0, गोमती नगर लखनऊ ।

विषय:- साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन लि0 द्वारा 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी - उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे0 संरक्षित एवं 1.1391 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 113 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.7069 हे0 संरक्षित एवं 6.2790 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 4058 वृक्षों के पातन अर्थात् 3.3788 हे0 संरक्षित एवं 7.4181 हे0 आरक्षित वनभूमि कुल 10.7969 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4417 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पं0 3459/11-सी
FP/UP/Trans/21539/2016 दिनांक 02-5-2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ ने सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव पर आपत्तियाँ लगायी गई है (प्रति संलग्न)। जिसमें कई विन्दुओं का निस्तारण आख्या /सम्बन्धित अभिलेख आपके द्वारा प्रेषित किये जाने है । अतः आप अतिशीघ्र आपत्ति का निस्तारण कर आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें । जिससे प्रभाग स्तर से निस्तारण एवं आपके द्वारा किये गये निस्तारण की आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार
(मूल में प्रस्ताव की 02 प्रति एवं 02 पेनड्राइव)

भवदीय

(एस0एन0मौर्य)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

Received
[Signature]